

राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद्
(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)

National Council for Hotel Management and Catering Technology
(Set up by Ministry of Tourism, Govt. of India)

राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद् से सम्बद्ध
आतिथ्य शिक्षा संस्थानों के लिए रैगिंग निषेध से सम्बंधित विनियम

**Regulations on Curbing the Menace of Ragging for
Hospitality Education Institutes Affiliated to NCHMCT**



राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद्
(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)
ए-34, सेक्टर-62, नौएडा-201309
दूरभाष : 0120-2590600-23


National Council for Hotel Management and Catering Technology
(Set up by Ministry of Tourism, Govt. of India)
A-34, Sector - 62, Noida - 201309
Telephone No. : 0120-2590600 - 23

राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालाँजी परिषद

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)

राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालाँजी परिषद से
सम्बद्ध

होटल प्रबंध संस्थानों (आई. एच. एम.)
तथा पाककला संस्थानों (एफ.सी.आई) के लिये
रैगिंग निषेध से सम्बंधित विनियम



राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालाँजी परिषद
(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)

माननीय उच्चतम न्यायालय के “केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल, प्रिंसिपल, कॉलेज तथा अन्य” 2006 के एस०एल०पी० सं० 24295 दिनांक 16-05-2007 के और 2009 के सिविल अपील नं. 887 दिनांक 08-05-2009 से प्राप्त निर्देशों तथा केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के निषेध, रैगिंग को रोकने और रैगिंग के संकट को समाप्त करने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए जिसमें किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार का आचरण जैसे मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नये अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़ित करना, दुर्व्यवहार करना, किसी छात्र द्वारा उपद्रवी अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त होना जिससे नये अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नये या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नये अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें आदि शामिल है। छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ विकास के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद यह विनियम पेश करता है।

राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद के संगम जापन (मेमोरांडम ऑफ एसोसिएशन) के अनुभाग 30 धारा (क) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिशासी मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) निम्नलिखित विनियम बनाता है, जिसका नाम है -

1 शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता

- 1.1 यह विनियम राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद की छत्रछाया में समस्त भारत में चल रहे होटल प्रबंध संस्थानों तथा पाक-कला संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के विनियम कहे जायेंगे।
- 1.2 यह विनियम प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।
- 1.3 राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद की छत्रछाया में चल रहे होटल प्रबंध संस्थान तथा पाक-कला संस्थान चाहे वो केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हो या निजी प्रबंधकों के नियंत्रण में हों और सभी परिसर चाहे शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों (आई०एच०एम०/ एफ.सी.आई) चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बाहर तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन, चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी हों, छात्रों द्वारा अपने अध्ययन के दौरान इस प्रकार के संस्थानों (आई०एच०एम०/एफ.सी.आई) में प्रयोग किए जा रहे हों, उन सभी पर यह विनियम लागू होंगे।

2. उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरे को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताडित करना, उसे छेड़ना किसी नये छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नये या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे तथा जिससे

उसमे लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी नये छात्र को वरिष्ठ छात्र द्वारा शोषण करना, ऐसे दुष्प्रभावों से बचने के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद की छत्रछाया में चल रहे संबद्ध संस्थानों (आई०एच०एम०/एफ.सी.आई) में इस विनियम के अंतर्गत रैगिंग रोकना तथा इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन विनियमों तथा विधि के अनुसार दण्डित करना ही "रैगिंग निषेध विनियम" का उद्देश्य है।

3. रैगिंग में क्या सम्मिलित है ?

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अंतर्गत आयेंगे -

- (क) किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नये आनेवाले छात्र का मौखिक वाणी अथवा लिखित शब्दों द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना ;
- (ख) छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नये छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो;
- (ग) किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नये छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो;
- (घ) वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नये छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुंचाये;
- (ङ) नये अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिये गये शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना;
- (च) नये छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना/ जबरन धन वसूली करना ;
- (छ) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य / किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे;
- (ज) मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नये छात्र या अन्य छात्र को घबराहट हो;
- (झ) कोई कार्य जिससे नये छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े;
- (ञ) नये अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना;
- (ट) (प्रथम संशोधन - प्राधिकार - दिनांक 14.06.2016 को आयोजित हुई अधिशासी मंडल की 44वीं बैठक) :

शारीरिक या मानसिक शोषण का कोई भी कार्य (बदमाशी और बहिष्कार सहित) जो किसी दूसरे छात्र को लक्षित करते हुए(नए अथवा अन्य छात्र को) वर्ण, वंश, धर्म ,

जातियता, लिंग (ट्रान्सजेंडर सहित), यौन अभिविन्यास, उपस्थिति, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो।

4 परिभाषायें

4.1 इन विनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।

- (क) "संगम जापन और नियम एवं विनियम" का तात्पर्य राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद के संगम जापन के तहत नियम और विनियम जो कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
- (ख) "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद की छत्रछाया में चल रहे संबद्ध आई०एच०एम० और एफ०सी०आई० में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
- (ग) "राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्पलाइन" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसके विनियमों के तहत स्थापित रैगिंग निषेध हेल्पलाइन है।
राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्पलाइन
निःशुल्क फोन न०: 1800-180-5522
ई-मेल: helpline@antiragging.in
- (घ) "आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।
- (ङ) "परिषद" का तात्पर्य राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद, एक पंजीकृत सोसाइटी जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में आतिथ्य प्रबंध शिक्षा के समन्वित अभिवृद्धि और विकास के लिए और इससे संबद्ध संस्थानों में आतिथ्य प्रबंध शिक्षा के विनियमन के लिए की गई।
- (च) "संस्थान" का तात्पर्य होटल प्रबंध संस्थान(आई०एच०एम०)/पाक कला संस्थान(एफ०सी०आई०)जो कि परिषद से संबद्ध हो, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी सार्वजनिक / निजी ट्रस्ट / सोसाइटी द्वारा पोषित हो।
- (छ) "जिला स्तरीय रैगिंग निषेध समिति" का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।
- (ज) "संस्थान स्तरीय रैगिंग निषेध समिति" का तात्पर्य परिषद द्वारा संबद्ध आई०एच०एम०/एफ.सी.आई.के प्रधानाचार्य द्वारा रैगिंग रोकने के लिए गठित समिति।
- (झ) "संस्थानाध्यक्ष" का तात्पर्य प्रधानाचार्य व निदेशक या संस्थान के नामित कार्यकारी प्रमुख।
- (ञ) "फ्रेशर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्थान में हो गया है तथा उस संस्थान में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

- (ट) "राज्य स्तरीय मानिट्रिंग सेल" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।

4.2 शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु विनियम अथवा विनियमन के सामान्य खण्ड में उल्लेखित है, वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय

- (क) कोई भी संस्थान अथवा उसका कोई भाग, केवल विभागों तक ही नहीं उसकी सभी ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि हो चाहे वे संस्थान परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, सार्वजनिक या निजी, सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय किए जायेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।
- (ख) सभी संस्थान रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

6. संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय

6.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्थानों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जाएँ।

- (क) संस्थान द्वारा जारी इलेक्ट्रानिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया में छात्र को प्रवेश संबंधी घोषणा में यह बताया जाए कि संस्थान में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इस विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।
- (ख) (क) प्रवेश पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रानिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ। प्रवेश पुस्तिका की निर्देश पुस्तिका तथा विवरण पत्रिका में यह भी ध्यान आकर्षित किया जाए कि रैगिंग होने पर कानून व्यवस्था लागू होगी तथा उसके फलस्वरूप पारिणाम भी होंगे। रैगिंग निषेध हेल्पलाइन तथा इसके साथ संस्थानाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों, रैगिंग निषेध दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर भी प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।
- (ग) परिषद् जो कि संबद्ध संस्था है, से संबन्धित कोई भी संस्थान अपने प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका, विवरण पत्रिका या इलेक्ट्रानिक माध्यम से रैगिंग से संबन्धित विवरण और परिणामों को प्रकाशित करेगा। साथ ही राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्पलाइन, परिषद्

के रैगिंग निषेध हेल्पलाइन और परिषद् के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के फोन नंबर अपने प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका या विवरण पत्रिका में प्रकाशित करेगा। परिषद् से संबन्धित संस्थान रैगिंग मुक्त संस्थान बनाने के लिए इन नियमों का पालन करेंगे। परिषद् यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्ध संस्थान विनियम 6.1 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) का अनुपालन करें।

- (घ) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी / अभ्यर्थी की जात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने इस विनियम के प्रावधानों को पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विधि के प्रावधानों को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषणा करता/करती है कि उसे किसी संस्थान द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।
- (ङ) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक है। अभ्यर्थी के माता-पिता अभिभावक की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के विनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को वो जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्थान द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इस विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।
- (च) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र / स्थानांतरण प्रमाण-पत्र / प्रवास प्रमाण-पत्र / चरित्र प्रमाण पत्र हों जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्थान इसके बाद उस पर नजर रख सके।
- (छ) संस्थान के द्वारा व्यवस्थित किए गए छात्रावास या किसी अस्थायी परिसर जो कि संस्थान का हिस्सा नहीं है या व्यावसायिक रूप से संचालित छात्रावास या लॉज की व्यवस्था की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। आवास के लिए निर्धारित सीट को स्वीकारते हुए शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप अनुसूची I और II पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।
- (ज) किसी भी संस्थान में शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थानाध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रपाल (वार्डेन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता-पिता अभिभावक, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करे तथा रैगिंग रोकने के उपायों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्परिणाम करने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु उन्हें सम्बोधित करें।

- (झ) परिषद् और संस्थान, विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्थान उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगायें। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहां रैगिंग का आघात किए जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जाएँ।
- (ञ) परिषद् और संस्थान मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार-प्रसार करे। संस्थान में रैगिंग को रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद-भाव एवं भय के दण्डित करने के नियम का प्रचार करें।
- (ट) परिषद् और संस्थान द्वारा रैगिंग हो सकने वाले स्थानों की पहचान कर उस पर गहन दृष्टि रखी जाए।
- (ठ) संस्थान द्वारा परिसर में विषम समय तथा शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग निषेध सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।
- (ड) परिषद् और संस्थान नए शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व अवकाश के समय में रैगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।
- (ढ) संस्थान के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करें तथा शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी विनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।
- (ण) परिषद् और प्रत्येक संस्थान शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर कौंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।
- (त) संस्थानाध्यक्ष द्वारा स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर प्रबन्ध किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाये। संस्थानाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग निषेध दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चौकसी रखें।

6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए जाएँ, जैसे:

- (क) संस्थान में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पत्रक दिया जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करना है। इसमें विभिन्न अधिकारियों के फोन नं० तथा पते भी दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इन विनियम में संदर्भित रैगिंग निषेध हेल्पलाईन, वार्डन, संस्थानाध्यक्ष तथा रैगिंग निषेध समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और फोन नं० विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।

- (ख) नए छात्रों को दिये जाने वाले पत्रक द्वारा संस्थान विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (क) में दिये निर्देश को स्पष्ट करें। कुशल और प्रभावी तरीके से अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु अधिष्ठापन और अभिविन्यास कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए।
- (ग) इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (क) में निर्देशित पत्रक द्वारा नए छात्रों को संस्थान के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताएं जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे इसके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास की सूचना तुरन्त रैगिंग निषेध दल, वार्डन अथवा संस्थानाध्यक्ष को दें।
- (घ) इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (क) में निर्देशित पत्रक में संस्थान में मनाएं जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्थान के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।
- (ङ) वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें, जो नामित जैसे: -
- i. पेशेवर कौंसिलरों द्वारा वरिष्ठ और नये छात्रों की काउंसिलिंग और एक संयुक्त संवेदीकरण प्रोग्राम का आयोजन, खण्ड - 6.1 नियम के विनियम धारा (ण) के अनुसार करे।
 - ii. नये छात्रों का एक संयुक्त संवेदीकरण प्रोग्राम जो कि वरिष्ठ छात्रों, संस्थानाध्यक्ष और रैगिंग निषेध समिति द्वारा संबोधित किया जाये।
 - iii. संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जायें।
 - iv. छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे।
 - v. जहाँ तक संभव हो संकाय-सदस्य छात्रावास में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करें ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न हो।
- (च) कोर्स इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्रों को सम्मिलित कर संस्थान समुचित समितियों का गठन करे। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच संबंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।
- (छ) नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी को देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए और उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।
- (ज) संस्थान में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं, वर्ग के सभी

सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।

- (झ) इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें। संकाय सदस्य नए छात्रों के साथ हुई बातचीत की एक डायरी बनाए रखें।
- (ञ) नये छात्रों को अलग छात्रावास में या अलग ब्लॉक में या अलग विंग में रखा जाये जहाँ वरिष्ठ छात्रों के सुगम प्रवेश की सुविधा नहीं हो। संस्थान नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों /छात्रावासों में आवागमन करने वाले वरिष्ठ छात्रों पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी द्वारा कड़ी निगरानी रखें।
- (ट) संस्थान 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करें।
- (ठ) नये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्थानाध्यक्ष को प्रदान करें।
- (ड) संस्थान में पढ़ रहे प्रत्येक छात्र, उसके माता-पिता / अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दें जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (घ) (ड.) और (छ) के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दिया जाना है।
- (ढ) प्रत्येक संस्थान विनियम (6.2) खण्ड - (ड) के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखे। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रानिक रूप में सुरक्षित रखे ताकि जब आवश्यकता हो परिषद अथवा कोई प्राधिकार अथवा संस्थान अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।
- (ण) प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्थान में अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे और यदि छात्र/छात्रा ने अपना निवास स्थान तय नहीं किया है या वह अपना निवास बदलना चाहता/चाहती है तो निवास स्थान के निश्चित होते ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यवस्थित किये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है / रही है।
- (त) प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक से शपथ पत्रों के आधार पर जो आँकड़े विनियम (6.2) खण्ड - (ण) के तहत लिये गये हैं, उन आँकड़ों को संस्थानाध्यक्ष संकाय सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे और वे रैगिंग की शिकायतों चाहे परिसर के भीतर अथवा बाहर तथा उसके बाद की गयी हों की कार्यवाही का रिकार्ड भी रखेंगे।
- (थ) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थानाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके बच्चे रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

6.3 प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।

- (क) प्रत्येक संस्थान एक समिति बनाए जिसे रैगिंग निषेध समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थानाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक, संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, गैर-शिक्षण स्टाफ तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री पुरुष दोनों हों।
- (ख) रैगिंग निषेध समिति का कर्तव्य होगा कि वह इस विनियम के प्रावधानों तथा रैगिंग से संबन्धित कानून का अनुपालन कराये तथा रैगिंग निषेध दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।
- (ग) प्रत्येक संस्थान एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग निषेध दल/ स्क्वैड (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थानाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति नजर रखे तथा हर समय गश्त करें और सभी समय पर सचेत और सक्रिय बने रहें। रैगिंग निषेध दल/स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।
- (घ) रैगिंग निषेध दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण करें।
- (ङ) रैगिंग निषेध दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थानाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग निषेध समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (क) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे। रैगिंग निषेध दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जानेवाले छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।
- (च) प्रत्येक संस्थान शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनिटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। संस्थान में बैचों की संख्या के आधार पर कई स्तर पर प्रत्येक छः(06) नए छात्रों पर एक परामर्शदाता बनाए जायें और एक परामर्शदाता उच्चतर स्तर पर होना चाहिए।
- (छ) परिषद एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो संबन्धित संस्थान में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग सेल संस्थानाध्यक्षों, रैगिंग निषेध समिति और रैगिंग निषेध दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। वह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय रैगिंग निषेध समिति के सम्पर्क में रहेंगे।

- (ज) मॉनिटरिंग सेल संस्थान द्वारा किए जा रहे रैगिंग निषेध उपायों का भी मूल्यांकन करेगा। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जांच करेगा। दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु इसकी मुख्य भूमिका होगी। रैगिंग निषेध उपायों के कार्यान्वयन और संस्थान स्तर पर इसके विनियमानुसार अध्यादेश की स्थिति में संशोधन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.4 प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित उपाय भी करे, जैसे -

- (क) प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते हैं वहाँ संस्थान के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हों जिसकी नियुक्ति संस्थान द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाये। जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसलिंग और सम्बंध बनाये रखें। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।
- (ख) वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्थान द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रहे तथा सभी छात्रों को हो।
- (ग) संस्थान द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकने से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए।
- (घ) इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ण) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर कौंसलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप से छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउन्सिलिंग चाहते हों उनकी कौंसिलिंग करें। ऐसे कौंसिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जाये।
- (ङ) संस्थान रैगिंग निषेध उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार दृश्य श्रव्य माध्यम द्वारा करें। कौंसिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिंग और डिज़ाइन प्रतियोगिता द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है।
- (च) प्रत्येक संस्थान, किसी छात्र / व्यक्ति को रैगिंग निषेध हेल्पलाइन से संपर्क करने हेतु मोबाइल फोन या सार्वजनिक फोन से बात करने की छूट, वर्जित क्षेत्र में भी देगा जबकि कक्षा, सभागार, पुस्तकालय या दूसरे जगह जहाँ जरूरत हो फोन का उपयोग वर्जित किया जा सकता है।
- (छ) संस्थान के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी को छोड़कर संविदा पर रखे गए प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक श्रमिक चाहे वे कैंटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों सबको संवेदनशील रखे कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।
- (ज) संस्थान द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्थान के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो से यह वचन ले कि वे अपने क्षेत्र में रैगिंग की कोई भी घटना

होने पर उसकी जानकारी तुरन्त संस्थानाध्यक्ष, रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।

- (झ) संस्थान द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाये तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।
- (ञ) संस्थान द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्थान के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसकी जानकारी तुरन्त संस्थानाध्यक्ष, रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।
- (ट) परिषद यह सुनिश्चित करे कि संस्थान यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में रैगिंग निषेध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक को कौंसिलिंग के दृष्टिकोण कि स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।
- (ठ) संस्थान में रैगिंग नहीं हो रही है इसको सुनिश्चित करने के लिए संस्थान प्रथम वर्ष के नए विद्यार्थियों का हर पन्द्रह दिन में गुमनाम अनियमित सर्वेक्षण करे। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्थान स्वयं निश्चित करे।
- (ड) संस्थान द्वारा छात्र को दिए जानेवाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।
- (ढ) इन विनियमों में विभिन्न अधिकारियों, सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी परिषद या संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामुहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके या घटना की जानकारी को संज्ञान में लाये।
- (ण) परिषद के प्रमुख और परिषद से संबद्ध संस्थानाध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग निषेध उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इस विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दें।
- (त) परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राष्ट्रीय निगरानी केंद्र को अपनी रिपोर्ट देंगे।

7 संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई

रैगिंग निषेध दल अथवा किसी के भी द्वारा भी रैगिंग से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर संस्थानाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग निषेध समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से

सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

- i. रैगिंग हेतु उकसाना
- ii. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र
- iii. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
- iv. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
- v. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
- vi. शरीर को चोट या गंभीर चोट पहुँचाना
- vii. गलत ढंग से रोकना
- viii. गलत तरीके से बंधक बनाना
- ix. आपराधिक बल प्रयोग
- x. प्रहार करना के साथ साथ यौन अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
- xi. बलात् ग्रहण
- xii. आपराधिक अतिक्रम
- xiii. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
- xiv. आपराधिक धमकी
- xv. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
- xvi. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
- xvii. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
- xviii. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी उल्लिखित अपराध

संस्थानाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग निषेध समिति तथा परिषद के नोडल अधिकारी को दें। यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्थान इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कर्तव्यवाड़ी की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दें और घटना के सात दिनों के भीतर औपचारिक कारवाड़ी पूरी कर ली जाए।

8 परिषद के कर्तव्य एवं दायित्व

8.1 परिषद किसी भी संस्थान में रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा:

- (क) परिषद एक निःशुल्क रैगिंग निषेध हेल्प लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं। परिषद,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्प लाइन नंबर का भी प्रदर्शन करेगा जो 24 x 7 निःशुल्क काम करती है।

- (ख) रैगिंग निषेध हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थानाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन, सम्बद्ध संस्थान के नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा जो कि कार्रवाई रिपोर्ट संस्थान के रैगिंग निषेध समिति को देगा तथा साथ ही सम्बद्ध जिले के अधिकारियों को, यदि आवश्यकता हुई तो जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।
- (ग) संस्थानाध्यक्ष को रैगिंग निषेध हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कार्यवाई इस विनियम के उपखण्ड (ख) के अनुसार करनी होगी।
- (घ) रैगिंग निषेध राष्ट्रीय हेल्पलाइन, रैगिंग निषेध परिषद हेल्पलाइन तथा प्रत्येक संस्थान के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थानाध्यक्षों, संकाय के सदस्यों, रैगिंग निषेध समिति के सदस्यों तथा रैगिंग निषेध दल के फोन नंबरों को वेबसाइट और सामान्य उपलब्ध स्थिति पर प्रकशित किया जाए ताकि आकस्मिकी में वे उनका प्रयोग कर सकें।

8.2 परिषद विनियमन के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा :

- (क) परिषद, संस्थान के लिए यह अनिवार्य करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मानिट्रिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। परिषद भी इसका अनुसरण करते हुए विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर विवरणी में भी शामिल करेगा।
- (ख) परिषद यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता-पिता / अभिभावक से शपथ पत्र संस्थान द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।
- (ग) परिषद द्वारा संस्थान को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष योग्यता तथा वित्तीय संसाधनों के आधार पर छात्रवृत्ति अथवा किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता योजना अथवा अनुदान में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्थान द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।
- (घ) रैगिंग की किसी भी घटना का संस्थान के रैंक अथवा ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
- (ङ) परिषद एक "रैगिंग निषेध सेल " अपने कार्यालय में बनाएगा जो रैगिंग से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करेगा तथा उस पर निगरानी रखेगा और संस्थान स्तरीय समितियों के साथ तालमेल कर रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारु रूप से कार्य करेगा। यह सेल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार गैर सरकारी संगठनों के साथ, जो रैगिंग रोकने से सम्बन्धित हैं, उनके साथ समन्वय करेगा।

9 रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

(क) रैगिंग निषेध समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग निषेध दल दण्ड हेतु अपनी स्तुति देगा।

(ख) रैगिंग निषेध समिति रैगिंग निषेध दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

- i. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन
- ii. छात्रवृत्ति / छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना
- iii. किसी जाँच / परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
- iv. परीक्षाफल रोकना
- v. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना
- vi. छात्रावास से निष्कासित करना
- vii. प्रवेश रद्द करना
- viii. संस्थान से 01 से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना
- ix. संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्थान में एक निश्चित अवधि तक निष्कासित रखना

जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके तो संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

(ग) रैगिंग निषेध समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।

- i. परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से, अगर दण्ड आदेश संस्थाध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो।
- ii. परिषद के अध्यक्ष से, अगर दण्ड आदेश परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

9.2 यदि कोई संस्थान इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहती है तो उस पर निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्यवाई की जा सकती है -

- i. संबद्धता या मान्यता रद्द करना या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना। इस प्रकार की संस्थान को निषिद्ध करना। उस संस्थान में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई के लिए परिषद द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था का किया जाना।
- ii. इस प्रकार के संस्थान को किसी शैक्षिक कार्यक्रम, विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर में परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा छात्रों का प्रवेश लेने से वंचित रखना।
- iii. पर्यटन मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी भी प्रकार के अनुदान से वंचित रखना।
- iv. परिषद द्वारा संस्थान को अग्रप्रेषित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अनुदान से वंचित रखना।
- v. परिषद के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड।

9.3 जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी का विचार है कि संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई है, रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की है, रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई है तथा इस विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है तो उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार की ढील संस्थानाध्यक्ष के स्तर पर हुई है तो संस्थानाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

9.4 कोई भी संस्थान जो रैगिंग रोकने इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो परिषद उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से उपलिखित अधिनियम 9.2 के अंतर्गत कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।

***** विनियमों की समाप्ति *****

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

मैं (अभ्यर्थी का पूरा नाम, प्रवेश/पंजीकरण संख्या) पुत्र/पुत्री
 श्री/श्रीमती/सुश्री ने (संस्थान का नाम)
में प्रवेश लिया है और परिषद से
 सम्बंधित आतिथ्य संस्थानों के लिये रैगिंग निषेध से सम्बंधित अधिनियम (यहाँ के आगे 'धारा' कहलायेंगे) एक प्रतिलिपि
 प्राप्त कर ली है तथा इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

1. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
2. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई कर सकता है।
3. मैं सत्यनिष्ठा और दृढ़ता पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
 - क. मैं किसी भी रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
 - ख. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
4. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्थानों द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर
नाम:

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित.....स्थान..... दिनमहीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री(पिता-माता/अभिभावक का पूर्ण पता)
 माता/पिता/अभिभावक.....(विद्यार्थी का पूर्ण पता प्रवेश/पंजीकरण संख्या)
 (संस्थान का नाम)

..... संस्थान में प्रवेश लिया है। परिषद से सम्बंधित आतिथ्य संस्थानों के लिये रैगिंग निषेध से सम्बंधित अधिनियम (यहाँ के आगे 'धारा' कहलायेंगे) एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाई कर सकता है।
4. मैं शपथपूर्वक निश्चय करता हूँ कि
 - क. मेरे पुत्र/पुत्री किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेंगे।
 - ख. मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाई गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और यदि मेरे पुत्र/पुत्री को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
 नाम
 पता:
 दूरभाष संख्या:

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित.....स्थान..... दिनमहीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिनमहीना.....वर्ष.....दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

NATIONAL COUNCIL FOR HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY

(Under Ministry of Tourism, Government of India)

A - 34, Sector - 62, NOIDA

NCHMCT REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HOSPITALITY EDUCATION INSTITUTES AFFILIATED TO IT

**(Under Clause (a) of Section 30 of the Memorandum of Association and Rules & Regulations of the
National Council for Hotel Management and Catering Technology)**

Objectives

PREAMBLE

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the National Council for Hotel Management and Catering Technology, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 30 of the Memorandum of Association and Rules & Regulations of the National Council for Hotel Management and Catering Technology, its Board of Governors hereby makes the following Regulations, namely;

1 Title, commencement and applicability

- 1.1 These regulations shall be called the "NCHMCT Regulations on Curbing the Menace of Ragging in the Institute under its Umbrella in all over India".
- 1.2 They shall come into force from the date of publication.
- 1.3 They shall apply to all the Institute of Hotel Managements coming within the umbrella of NCHMCT as its affiliates either sponsored by Central/ State Governments or under private management and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such Institution (IHM), whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions (IHMs).

2 Objectives

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the

physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from institutions (IHMs) under the umbrella of NCHMCT as its affiliates, in the country by prohibiting it under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3 What constitutes Ragging

Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- (a) any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- (b) indulging in rowdy or indiscipline activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- (c) asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- (d) any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- (e) exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- (f) any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- (g) any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- (h) any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student ;
- (i) any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student ;
- (j) with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.
- (k) First amendment made on 14th June 2016 (44th Board of Governors meeting of NCHMCT)

“Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background”.

4 Definitions

4.1 In these regulations unless the context otherwise requires,-

- (a) "Memorandum of Association and Rules & Regulations" means, the Memorandum of Association and Rules & Regulations of the National Council for Hotel Management and Catering Technology registered with Registrar of Societies under society's registration Act 1860.
- (b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the IHMs and FCIs, under the umbrella of the National Council for Hotel Management and Catering Technology as its affiliates, and up to the completion of academic requirements for that particular year.
- (c) "National Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established by the University Grants Commission under Anti-Ragging Regulation of the Commission.
National Anti-Ragging Helpline
Toll free Phone No.: **1800-180-5522**
E-mail : **helpline@antiragging.in**
- (d) "Commission" means the University Grants Commission.
- (e) "Council" means the National Council for Hotel Management and Catering Technology, a registered society established by Govt. of India for coordinated growth and development of hospitality management education in the country and to regulate Hospitality Management Education within its affiliated Institutes.
- (f) "Institute" means the Institute of Hotel Management which is affiliated with the "Council", either sponsored by Central Government, State Government, Public Sector Undertaking or any private/ Public trust/ Society.
- (g) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.
- (h) "Institute Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the Principal of the IHM affiliated to the "Council".
- (i) "Head of the institution" means the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the "Institution" is referred.
- (j) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
- (k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

- 4.2 Words and expressions used and not defined herein but defined in the Resolution or in the General Clauses of the Resolution, shall have the meanings respectively assigned to them in the Resolution or in the General Clauses of the Resolution, as the case may be.

5 Measures for prohibition of ragging at the institution level

- (a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside.
- (b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level

- 6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,
- (a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audio-visual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.
- (b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full. Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus. Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities viz Anti-Ragging Committee of the Council or other relevant information, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

- (c) Council being the affiliating body for the Institutes shall prominently print these Regulations in full in the admission brochure either in print or electronic format which shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences. Provided further that the telephone numbers of the National Anti-Ragging Helpline, Anti-Ragging helpline of the Council and all the important functionaries in the Council shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus. An institution is affiliated to the Council shall follow the provisions of the regulations to eradicate Ragging from the Institution. The affiliating Council shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.
- (d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.
- (e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.
- (f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate /

Migration Certificate/Character Certificate reporting on the interpersonal/social behavioral pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted/ physically reported, whose behavior has been commented in such document.

- (g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively while accepting the seat in such accommodation.
- (h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students, parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.
- (i) The Council and Institutions shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- (j) The Council and Institutions shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favor.
- (k) The Council and Institutions shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- (l) The Council and Institutions shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.
- (m) The Council and Institutions shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.

- (n) The faculties/departments/units of the Council or Institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.
- (o) The Council and every Institution shall engage or seek the assistance of professional counselors before the commencement of the academic session, to be available when required by the institution, for the purposes of offering counseling to fresher and to other students after the commencement of the academic year.
- (p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 The Council or Institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

- (a) Every fresh student admitted to the Council or Institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.
- (b) The Institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the fresher, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted to the Institution in earlier years.
- (c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the fresher about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.
- (d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of fresher with the academic environment of the institution.

- (e) The Institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely;
- (i) joint sensitization programme and counseling of both fresher and senior students by a professional counselor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations;
 - (ii) joint orientation programme of fresher and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee;
 - (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the fresher and seniors to interact in the presence of faculty members ;
 - (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration.
 - (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in the irrespective hostels to instil a feeling of confidence among the fresher.
- (f) The Institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the fresher, junior students and senior students.
- (g) Fresher or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identification of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.
- (h) Each batch of fresher, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.
- (i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of fresher, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the fresher under his/her charge.
- (j) Fresher shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block or at least in separate wing or floor, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to

fresher is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.

- (k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.
- (l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of fresher to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.
- (m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.
- (n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Council or by the any other authority or person or organisation authorised to do so.
- (o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.
- (p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en-route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.
- (q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

- (a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police

administration, local media, Non-Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the fresher's category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.

- (b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.
- (c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.
- (d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.
- (e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1. Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.
- (f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for fresher, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six fresher and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.
- (g) The Council shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated Institutions under the domain of the Council to achieve the objectives of these Regulations; and the

Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.

- (h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or By-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;

- (a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counseling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.
- (b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicized among all students residing in the hostel.
- (c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.
- (d) The professional counselors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel fresher and/or any other student(s) desiring counseling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counseling sessions.
- (e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counseling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.
- (f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms,

seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.

- (g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.
- (h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.
- (i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.
- (j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.
- (k) The Council shall be required to ensure that institutions imparting instruction in each courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counseling approach.
- (l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the fresher's every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross check whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.
- (m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behavior, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behavior or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.

- (n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the Council and Institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the Council or Institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.
- (o) The Heads of Council and Institutions affiliated to the Council, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the CEO of the Council to which the institution is affiliated.
- (p) The CEO shall submit fortnightly compiled reports of the Council to the National Monitoring Cell.

7 Action to be taken by the Head of the institution

On receipt of the recommendation of the Anti-Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;
- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;
- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;

- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the Council. Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities/Council and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8 Duties and Responsibilities of the Councils

- 8.1 The Council shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;
- (a) The Council shall establish an Anti-Ragging Helpline number, operational in all the working days during office hours, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents. The Council also display the National Anti-Ragging helpline number created by the UGC, which is toll free and functional 24 X 7.
 - (b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to Head of the Institution, if the incident reported has taken place in an institution, who in turn submit a report of Institute level Anti-Ragging committee and also inform the action taken by the Institute, which includes informing to the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.
 - (c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.
 - (d) The telephone numbers of the National Anti-Ragging Helpline, Anti-Ragging Helpline of the Council and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti-ragging squads will be made web enabled so as to be in the public domain and shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.

8.2 The Council shall take the following regulatory steps, namely;

- (a) The Council shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action. The Council also shall follow the same for the prospectus of B.Sc. and M.Sc. programme.
- (b) The Council shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- (c) The Council shall include a specific condition in the merit-cum-means scholarship scheme while granting to any institution or any special schemes of the Council that the institution has complied with the anti-ragging measures.
- (d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its ranking or grading while assessing the institution for the same.
- (e) The Council shall institute an Anti-Ragging Cell within the Council as an institutional mechanism to provide necessary support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the Institute level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the University Grants Commission.

9. Administrative action in the event of ragging

9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed herein under:

- (a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.
- (b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;
 - i. Suspension from attending classes and academic privileges.
 - ii. Withholding / withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.
 - iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
 - iv. With holding results.
 - v. Debarring from representing the institution in any regional, national or

- international meet, tournament, youth festival, etc.
- vi. Suspension / expulsion from the hostel.
 - vii. Cancellation of admission.
 - viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters.
 - ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

- (c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,
 - i. in case of an order of an institution, to the Chief Executive Officer of the Council;
 - ii. in case of an order of CEO of the Council, to its Chairman.

9.2 Where an institution fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, Council may take any one or more of the following actions, namely;

- i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred. Provided that where an institution is prohibited, the Council shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies.
- ii. Prohibiting such institution from getting any student or students through JEE conducts by the Council for admission in the B.Sc. and M.Sc. programme of study.
- iii. Withholding grants allocated to the Institute by the Ministry of Tourism or concerned State Government, if any;
- iv. Withholding any grants channellised through the Council to the institution.
- v. Any other appropriate penalty within the powers of the Council.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff. Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such

departmental disciplinary action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Council shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, may take one of more of the measures, as mentioned in the regulation 9.2 above.

***** End of Regulations *****

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

- 1) I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) _____ S/o D/o Mr./Mrs./Ms. _____, having been admitted to (name of the institution) _____, have received a copy of the NCHM Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Hospitality Educational Institutions, affiliated to it, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year. _____

Signature of deponent

Name :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year). _____

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

- 1) Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of _____, (full name of student with admission/registration/enrolment number), having been admitted to _____ (name of the institution), have received a copy of the NCHMCT Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Hospitality Educational Institutions, affiliated to NCHMCT (herein after called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year. _____

Signature of deponent

Name :

Address :

Telephone / Mobile No. :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year) . _____

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



National Council for Hotel Management & Catering Technology
(Ministry of Tourism, Govt. of India)
A-34, Sector-62, Noida - 201309